राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कैलाशी बनाम जुगलकिशोर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/04/2026	117/2009 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/05/2026 को पेश हो।	
07/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम बगरू कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में आराजी खसरा नम्बर 2178 लगायत 2200 व 2845 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा स्थित है। जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। हाल सैटलमेन्ट में उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 4033, 4037 लगायत 4040, 4050 लगायत 4063 रकबा 4.62 हैक्टेयर बना है। वादी मौके पर आज भी 18 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर काबिज है जिसके अनुसार उसका हाल सेटलमेन्ट में कुल रकबा 4.65 हैक्टेयर भूमि बनती है। वादी को रकबा कमी की जैसे ही जानकारी हुई, वादी ने तुरन्त एक उजदारी सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी जी सांगानेर में की जो बाद में अदम हाजरी में दिनांक 27.03.1991 को तारीख कर दी. उक्त उजदारीह को वापस नम्बर लेने हेतु वादी ने दरख्वास्त पेश की, जो स्वीकार फरमा ली गई। वादी की बाजदायरी प्रार्थना-पत्र के स्वीकार होने के कुछ दिन पश्चात् भू-प्रबन्ध कार्यवाही की समाप्ति का गजट नोटिफिकेशन हो गया। उक्त गलत नोटिफिकेशन के पश्चात समस्त पत्रावलीयां जो ए.एस.ओ के पास लम्बित थी, उन्हें उपखण्ड अधिकारी जी जयपुर ने यहाँ मुन्तलिक कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर ने उक्त पत्रावलीयो को तहसीलदार-कम-भू-अभिलेख अधिकारी सांगानेर को मुन्तलिक कर दिया कि जहाँ से एवम् उपखण्ड अधिकारी जयपुर से काफी तलाश के बाद भी उक्त पत्रावली नहीं मिल रही है। उक्त पत्रावली का मिसल नम्बर 17/90 है। प्रार्थी से जब प्रतिवादी संख्या एक के पिता ने बिला प नाप को लेकर झगड़ा करना चाहा तो प्रार्थी ने भू-प्रबन्ध अधिकारी जयपुर को सीमाज्ञान कराने को निवेदन किया जिस पर दिनांक 26.05.1990 को सीमाज्ञान कराया गया, उक्त सीमा-ज्ञान अनुसार प्रार्थी भूमि पर आज भी काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 4040, 4050, 4051, 4052 के दक्षिणी ओर खसरा नम्बर 4041 रामस्वरूप एवं जुगल 4049. 4048 के मूल खातेदार जुगल पुत्र नारायण जाति जांगिड ब्राहम्ण से भूमि क्रय की है और क्रय करने के पश्चात् हाल पर्चे में खसरा नम्बर 2176 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा जिसके साबिका के हाल	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कैलाशी बनाम जुगलकिशोर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

117/2009

खसरा नम्बर कायम करते हुए भू-प्रबन्ध विभाग ने 29 ऐयर कैलाश के एवम् 16 ऐयर जुगल के लगा दी और वादी का रकबा कम कर दिया जिसका कि भू-प्रबन्ध विभाग को किसी के रकबे कमी-बेसी करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। सैटलमैन्ट विभाग केवल विरासत, पंजीकृत दस्तावेज व सक्षम अदालत की आज्ञानुसार ही रिकार्ड में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन सैटलमैन्ट विभाग द्वारा बिना वादी को सुने, नोटिस दिये अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाते हुये रकबा कम कर दिया और कैलाश व जुगल के 6 ऐयर व 8 ऐयर अधिक लगा दिया है, तो वादी के अधिकारों के विरूद्ध कले-अदम व बेअसर है व प्रभावशून्य है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि काफी चतुर चालाक व्यक्ति है, ने खसरा नम्बर 4040, 4050, 4051, 4052 में भूमि जो 40414049, 4048 से कुछ ऊँचाई पर है, से अभी दिनांक 25.05.1994 ईस्वी को कुछ मिट्टी काट कर अपने खेत को बढ़ाने के लिये की कोशिश की एवं डण्डा बनाने के लिये नींव खोदनी प्रारम्भ की इस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को मना किया एवम् नींवे बूर दी, तो प्रतिवादी संख्या 1 ने गाँव के दो-तीन व्यक्तियों को इक्ट्ठा करके लाया तो उस समय प्रतिवादी दोनों तीनों व्यक्तियों के समझाने पर अपनी गलती को मान गया और मिट्टी काटने व ड़ण्ड़ा बनाने से रूक गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि के बीच में दो खेजड़ी के पेड़ वादी के लगाये हुये है, जो वादी की सीमा में आते है। वादी की सास का देहावसान होने की वजह से वादी व उसकी पत्नी जिस्मृद्धि दिनांक 17.06.1994 ईस्वी को गाँव से ग्राम दूभावड़ी जिला नागौर चले गये और पीछे हर। प्रतिवादी संख्या 1 ने करीब एक बिस्वा लम्बाई में भूमि की मिट्टी कुचरकर अपने खेत में मिला ली वादी जब दिनांक 22.06.1994 को वापस आया और मिट्टी कटी हुई मिली तो वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से बातचीत करने गया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को धमकी दी कि अभी तो एक बिस्वा ही मिट्टी खुदी है, अभी तो करीब 4 फुट की चौड़ाई में मिट्टी और काटकर मेरे खेत मे मिलाऊंगा, तुम्हे जो करना हो वह करो। यदि उसने 4 फुट मिट्टी और बाट ली तो वादी को ही अपूर्णीय क्षति होगी | प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 22.06.1994 ईस्वी को वादा देने से एवं सैटलमैन्ट द्वारा रकबा कम करने से वादी के अधिकारों को कुठाराघात होता है | अतः अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि दावा वादी बाबत् घोषणा डिक्री सादिर फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2178 लगायत 2200 व 2855 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा के अनुसार हाल सैटलमैन्ट में जो रकबा कम किया है, और गलत रूप से कैलाश

व जुगल के 7 ऐयर बढ़ाया जिसे गत नम्बरान् अनुसार सही रकबा व नम्बरान् की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड व नक्शेजात से दुरूस्ती की जावें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की और से जवाब वाद पेश किया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कारम कर तनकीवर निर्णय व डिक्री दिनांक 08/07/2009 पारित करते हुये वादी का डिक्री फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | दौराने बहस अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओ की और से हमारा ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03/03/2008 को उभयपक्ष की बहस समायत कर पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 10/03/2008 में नियत की गयी, जिसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो निर्णय पारित किया एवं ना ही पत्रावली को पुन: बहस में नियत किया गया तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता को कोई सूचना दिये बिना ही दिनांक 30/03/2009 को वकुलाय फरीकेन की हाजरी दर्ज कर दी गयी तथा दिनांक 24/06/2009 को वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनना अंकित कर पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 08/07/2009 में नियत कर दी गयी तथा अपीलार्थी को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों के विपरित एकतरफा तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कानून के आज्ञापक प्रावधानों की अवेहलना की गयी है, जिसके प्रतिउत्तर में रेस्पो. के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाही की बखूबी जानकारी रही है किन्तु वे जानबुझकर उपस्थित नही हुये, ऐसेमें अपीलार्थी अब कोई लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नही है | इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय आदेशिकाऐ अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी द्वारा उद्धरित कथन स्वीकार योग्य जाहिर होते है एवं क़ानूनी प्रावधानों के अनुसार भी जब दोनों पक्षों की पत्रावली पर सुनवाई होकर पत्रावली निर्णय हेतु नियत हो चुकी है तो बहस समायत होने के उपरान्त 30 दिवस में निर्णय पारित करना अन्यथा पत्रावली को पुन: बहस में नियत किया जाना आवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कैलाशी बनाम जुगलकिशोर 117/2009 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेशिकाओ के अवलोकन से ऐसा नही किया जाना स्पष्ट होता है तथा दिनांक 30/03/2008 को दोनों पक्षों की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनने के उपरान्त अपीलार्थी अथवा उनके अधिवक्ता के हस्ताक्षर पत्रावली पर कही अंकित नही है, जिससे की रेस्पो. के कथनों की कोई ताईद होती हो कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की गयी समस्त कार्यवाही की जानकारी रही है | ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के विपरित जाकर कार्यवाही करते हुये अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनकी अनुपस्थिति में पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत नही होने से निरस्तनीय है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08/07/2009 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये अपीलार्थी सहित शेष पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 07/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |